उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या– 105/2019/2091/छप्पन-2019-31/2016

लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन 2013) के अन्तर्गत नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर परियोजना के लिए भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामले में अधिनियम की धारा-11 में दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में अधिसूचना संख्या-22/एक-13-2018-रा0-13 दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत राजस्व अनुभाग-13 के पत्र संख्या- 5/2018/253/एक-13-2018-5क(25)/2018टी.सी. दिनांक 10 अप्रैल, 2019 द्वारा बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।

2- उक्त सन्दर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10 अप्रैल, 2019 द्वारा गठित बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह में सम्मिलित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त निम्न दो प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है:-

क्र0	**नाम**	**पता/मोबाइल नम्बर**
1.	प्रीति यादव, पिता/पति श्री विपिन शर्मा, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा जेवर बांगर।	ग्राम- साबौता जाफराबाद। मो0- 9897440270.
2.	निरोत्तम शर्मा, पिता/पति का नाम- प्यारेलाल शर्मा, सदस्य, ग्राम सभा जेवर बांगर।	ग्राम- साबौता जाफराबाद। मो0- 9675780906.

3- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10 अप्रैल, 2019, इस सीमा तक संशोधित पढ़ा जाए।

सूर्य पाल गंगवार

विशेष सचिव

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 105/2019/2091(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. रजिस्ट्रार, गोतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर।
5. मण्डलायुक्त, मेरठ/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
6. डॉ0 के.एस. राव, एसोसिएट प्रोफेसर, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
7. डॉ0 प्रशांत कुमार त्रिवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
8. प्रोफेसर एस. पी. सिंह, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, आई.आई.टी. रूड़की।
9. प्रोफेसर जेड. रहमान, हेड, मैनेजमेन्ट स्टडीज विभाग, आई.आई.टी. रूड़की।
10. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, इंडो नेपाल बॉर्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11. श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री भगवान सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम रोही परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
12. श्री तेजवीर पुत्र श्री राजपाल, ग्राम प्रधान किशोरपुर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
13. प्रीति यादव, पिता/पति श्री विपिन शर्मा, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
14. श्री निरोत्तम शर्मा, पिता/पति का नाम- प्यारेलाल शर्मा, सदस्य, ग्राम सभा जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
15. राजस्व अनुभाग-13/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।